न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

-1-

निग 3690-I-16

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण /2016 जिला–जबलपुर

दीपक गुप्ता पिता लालचंद
निवासी मकान नंबर 24, एस.बी.आई.
कालोनी गोरखपुर जिला जबलपुर म0प्र0 ------ आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर जिला जबलपुर म0प्र0 ----- अनावेदक

आवेदक यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 154/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23–8–16 से परिवेदित होकर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

माननीय महोदय,

निगरानी के तथ्य

1. यहकि, आवेदक ने कलेक्टर महोदय जबलपुर के समक्ष एक आकवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, की धारा 165 (7–ख) के तहत मौजा घंसौर नं.बं. 627 प.ह.न8. 36, खसरा नं. 19 का कु रकबा 0.400 हैक्टर भूमि विकय किए जाने की अनुमति देने हेतु प्रस्तुत किया था ।
2. यहकि, उपरोकत भूमि आवेदक ने रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 22–11–06 के द्वारा रम्मू बर्मन एवं मुन्ना बर्मन दोनों के पिता कंछेदी बर्मन से कय की थी ।
3. यहकि, आवेदक द्वारा उक्त भूमि का कय अभिलेखों के आधार पर अभिलेखों में विकेता का नाम स्वतः भू–स्वामी के रूप में दर्ज था जिसके खसरे में भी दर्ज होना माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया था । लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा इस बात की अनदेखी की गई है ।
4. यहकि, आवेदक ने आवश्यकता के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया थ । आवेदक के आवेदन को अस्वीकार कर राजस्व प्रकरण को विधि के प्रावधानों के विपरीत खारिज किया गया है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3690–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-11-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 154/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23–8–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि मौजा घुन्सौर न.बं. 627 प.ह.नं. 36 राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर की कृषि भूमि खसरा नं. 19 कुल रकबा 0.400 हैक्टर है । उक्त भूमि उसके द्वारा दिनांक 22–11–2006 को रम्मू बर्मन एवं श्री मुन्ना बर्मन से पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की थी । उसे पैसों की आवश्यकता है अतः उक्त भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । कलेक्टर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर आवेदन निरस्त किया गया है कि आवेदक स्वयं शासकीय पट्टेदार नहीं है अतः आवेदन पत्र अग्राह्य किया जाता है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि आवेदक द्वारा जिस समय विक्रेताओं से भूमि क्रय की गई थी उस समय विक्रेताओं का नाम भूमिस्वामी के रूप में खसरों में अंकित था बाद में उक्त भूमि पर खसरे के कॉलम नं. 12 में अहस्तांतरणीय शब्द की प्रविष्टि अंकित करदी गई है । चूंकि खसरे	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में अहस्तांतरणीय प्रविष्टि अंकित है इस कारण आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165 (7–ख) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पेश कर अनुमति चाही गई थी जिसे निरस्त करने में जिलाध्यक्ष द्वारा त्रुटि की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में खसरे की प्रतियां भी पेश की गई हैं । 3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आलोच्य भूमि दिनांक 22–11–2006 (वर्ष 2006–07) में रम्मू बर्मन एवं श्री मुन्ना बर्मन से पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की गई है । इस न्यायालय के समक्ष आावेदक की ओर से खसरा पांचसाला वर्ष 2005–06 लगायत 2008–09 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है । वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में विक्रेता रम्मू एवं मुन्ना वल्द कंछेदी का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है, उनके नाम के सामने अहस्तांतरणीय शब्द की कोई प्रविष्टि अंकित नहीं है । बाद में वर्ष 2007–08 में इस भूमि पर आवेदक दीपक गुप्ता का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है और खसरे के कॉलम नं. 12 में शासन द्वारा प्राप्त अहस्तांतरणीय प्रविष्टि अंकित की गई है, जो निरंतर दर्ज चली आ रही है । इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा जब भूमि क्रय की गई उस समय विक्रेताओं का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित था और अहस्तांतरणीय प्रविष्टि खसरे में अंकित नहीं थी । उक्त प्रविष्टि बाद में अंकित की गई है और इसी कारण आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165(7–ख) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन जिलाध्यक्ष	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3690–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के समक्ष पेश किया गया है । जिलाध्यक्ष के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है जबकि आवेदक द्वारा उनके समक्ष उक्त खसरे की प्रतियां पेश की गई थी । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामतः कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23–8–16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को मौजा घुन्सौर न.बं. 627 प.ह.नं. 36 राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर की कृषि भूमि खसरा नं. 19 कुल रकबा 0.400 हैक्टर (अहस्तांतरणीय) के विकय करने की अनुमति प्रदान की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	